भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3314
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>एकल व्यक्ति कंपनी</u>

3314. श्री बी. श्रीरामुलु:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्यमियों के लिए एकल व्यक्ति कंपनी पंजीकरण प्रणाली का क्रियान्वयन शुरू हो गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार ओल्ड शेयरहोल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन रूल्स के कुछ कड़े नियमों और शर्तों में ढील देने का भी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और
(घ) क्या सरकार का विचार हथकरघा और हस्तशिल्प आदि के छोटे उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की ढील देने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): संगत नियमों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के दिनांक 01.04.2014 से लागू होने के साथ ही एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के पंजीकरण से संबंधित उपबंध लागू हो गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ओपीसी सहित सभी कंपनियों का पंजीकरण एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। ओपीसी/छोटी कंपनियों के पंजीकरण के लिए शुल्क अन्य कंपनियों की तुलना में कम है। यद्यपि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 में न्यूनतम प्रदत्त शेयरपूंजी संबंधी बाध्यताओं को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सामान्य मुहर की संकल्पना को भी वैकल्पिक बना दिया गया है जो ऐसे संशोधन से पहले अनिवार्य थी। सरकार ने कंपनियों के आसान और अतिशीघ्र पंजीकरण करने के लिए एकीकृत निगमन प्ररूप (आईएनसी 29) भी अधिसूचित किया है। विभिन्न पक्षकारों से सुझाव/फीडबैक प्राप्त होने पर अधिनियम/नियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया को समय-समय पर सरल किया जाता है।

(घ): अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना और विपणन समर्थन एवं सेवाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) उद्‌यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

*****